<u>न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बालाघाट (म.प्र.)</u> पीठासीन अधिकारी—रामजी लाल ताम्रकार

<u>व्यवहार वाद कमांक 34ए/2018</u> <u>प्रस्तुति दिनांक-01.02.2018</u>

1— मु० संध्या दुबे पिता स्व० विपिन बिहारी, बेवा स्व० सुनील कुमार दुबे, उम्र 50 वर्ष, निवासी वा.नं. 26, आजाद चौक बालाघाट, तहसील एवं जिला बालाघाट। ————— वादिनी/आवेदिका

ि <u>बनाम</u> ::-

- 1- राजकुमार दुबे पिता स्व0 विपिन दुबे, उम्र 63 वर्ष,
- 2- श्रीमती रजनी दुबे पति राजकुमार दुबे, उम्र 58 वर्ष,
- 3— अनमोल पिता स्व0 अरूण दुबे, आयु 20 वर्ष, तीनों जाति ब्राम्हण, निवासी वा.नं.26 आजाद चौक, बालाघाट, तहसील एवं जिला बालाघाट।
- 4— श्रीमती डॉ० कल्पना करमाहे पिता स्व० विपिन बिहारी, पति राजीव करमाहे, उम्र 47 वर्ष, निवासी यूनिवर्सिटी के पास जबलपुर, तह०-जिला जबलपुर।
- 5— श्रीमती किरण पिता स्व0 विपिन बिहारी दुबे, पित बसंत मिश्रा, उम्र 57 वर्ष, निवासी वा.नं.4, सांई सदन वारासिवनी, (बालाघाट रोड), तह0—वारासिवनी, जिला बालाघाट।
- 6— सेवेन्द्रसिंह परिहार पिता नामालुम, उम्र 32 वर्ष, राजपुत, निवासी वा.नं. 33 स्टेट बैंक कॉलोनी बालाघाट, तहसील एवं जिला बालाघाट।
- 7— मध्यप्रेदश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय बालाघाट, तहसील एवं जिला बालाघाट।————— प्रतिवादीगण/अनावेदकगण।

—::: <u>आदेश</u> :::— (आज दिनांक 16 / 05 / 2018 को पारित)

01— प्रकरण में वादिनी / आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. जो कि दिनांक 1.2. 2018 को प्रस्तुत किया गया था जो कि आई.ए.नंबर—1 े 18 है उसका निराकरण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

- 02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादिनी संध्या दुबे, प्रतिवादी कमाक—1 राजकुमार दुबे, प्रतिवादी कमांक—4 डाँ० कल्पना करमाहे एवं प्रतिवादी कमांक—5 किरण, मृतक विपिन बिहारी दुबे एवं सुलोचनाबाई दुबे की संतान हैं। प्रतिवादी कमांक—2, प्रतिवादी कमांक—1 की पत्नी है, प्रतिवादी कमांक—3 मृत पुत्र अरूण के रास्ते से विपिन बिहारी एवं सुलोचना का नाती है। प्रतिवादी कमांक—6 भूमि विक्रय करने के लिए संविदा किया है।
- 03— वादिनी के द्वारा एक दावा वास्ते मौजा गायखुरी, प.ह.नं.—13/1 तहसील एवं जिला बालाघाट वा.नं. 26 में स्थित भूमि खसरा नंबर 13/6 रकबा 0.16 एकड़ कुल एरिया 6,976 वर्गफिट जो कि भूमि पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 15.11.67 के मुताबिक सुलोचनाबाई पत्नी विपिन बिहारी दुबे के नाम से क्य की गई थी। वादिया ने अपने दावे में ऐसा भी उल्लेख किया है कि उक्त विकय पत्र मों के नाम पिता विपिन बिहारी दुबे ने प्रतिफल देकर पंजीकृत कराया था और उक्त भूमि पर 1250 वर्गफिट एरिये में एक आवासीय मकान बनवाया था, शेष भूमि खाली थी। राजस्व अभिलेखों में विकय पत्र के आधार पर मां का नाम दर्ज हुआ। पिता विपिन बिहारी दुबे की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी कमांक—1 एवं प्रतिवादी कमांक—2 जो कि वादिनी के भाई एवं भाभी हैं, ने उक्त भूमि में से 04 डिसमिल भूमि अर्थात् 1744 वर्गफिट भूमि वर्ष 1990—91 में प्रेमप्रकाश त्रिपाठी को विकय कर दिया था। इस तरह अब पैतृक भूमि मौंके पर 12 डिसमिल शेष बची है जिस पर पैतृक मकान भी बना हुआ है उसके संबंध में स्वत्व, घोषणा एवं वसीयतनामा को शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत किया है। अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में भी उक्त तथ्यों का उल्लेख संक्षिप्तः किया गया है।
- 04— वादिया ने अपने दावे एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में ऐसा उल्लेख किया है कि वर्ष 2008 में माता सुलोचनाबाई की मृत्यु हो चुकी है। वादिया ने इस दावे को प्रस्तुत करने का वाद कारण 30 जनवरी 2018 को उत्पन्न होना बताया है

जबिक वादिया को राजस्व विभाग से भूमि संबंधी दस्तावेजों की नकल देखने को मिली। साथ ही यह ज्ञात हुआ कि रा.प्र.क.—191/अ—6/2012—13 के माध्यम से तहसील कार्यालय में नामांतरण की कार्यवाही प्रतिवादी क्रमांक—1 एवं 2 ने कूट—रचित एवं फर्जी वसीयतनामा के आधार पर चोरी—छिपे करवाया है। उस कार्यवाही में वादिया को पक्षकार नहीं बनाया गया न ही कोई सूचना पत्र दिया गया। वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 ने अपना नाम दर्ज करा लिया जो कि नामांतरण पूर्णतः अवैध है। स्वत्व के निराकरण की अधिकारिता सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वादिया ने वादग्रस्त सम्पत्ति एवं मकान में निहित अपने हिस्से की घोषणा हेतु यह दावा पेश किया है। साथ ही वसीयतनामा दिनांक 29.5.

05— अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में ऐसा उल्लेख किया गया है कि वादिया का दावा प्रथम दृष्ट्या सबल एवं सारवान है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षिति का बिन्दु भी वादिनी के पक्ष में है ऐसी स्थिति में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी कमांक—1 एवं 2 ने जो पैतृक भूमि को विकय कर देने का सौदा प्रतिवादी कमांक—6 से किया है वह सौदा वैध नहीं है। वादिया के हित को प्रभावित करके सौदा किया गया है ऐसी स्थिति में निवेदन किया गया है कि अस्थाई निषधाज्ञा के माध्यम से प्रतिवादी कमांक—1 व 2 को एवं कथित केता प्रतिवादी कमांक—6 को भूमि का अंतरण करने एवं कराने से रोका जावे।

06— प्रतिवादी क्रमांक—1, 2, 3 एवं 5 ने जवाबदावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया है उसमें यही उल्लेख किया गया है कि माता सुलोचनाबाई ने स्त्रीधन के रूप में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.11.1967 के विक्रेता द्वारकाप्रसाद श्रीवास्तव से उक्त भूमि क्रय की थी। सुलोचनाबाई ने दिनांक 29.5.2009 को पंजीकृत वसीयतनामा के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक—1 राजकुमार, प्रतिवादी क्रमांक—2 बहू रजनी को तथा अरूण के पुत्र अनमोल के पक्ष में उक्त भूमि जिसमें मकान बना है, दिया था। वर्ष 2009 में सुलोचनाबाई की मृत्यु हो चुकी है, भूमि क्रय करने के उपरांत सुलोचनाबाई ने 04 डिसमिल भूमि रोशन सिंधी को विक्रय किया था, भाई अरूण की मृत्यु हो चुकी है उसकी पत्नी आरती दुबे राजनांदगांव में निवास कर

रही है तथा उनका पुत्र अनमोल प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 के पास रहता है, इस दावे में अरूण की पत्नी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, 12 डिसमिल जो भूमि बची है उस पर मकान बना हुआ है। वसीयतनामा के मुताबिक सुलोचनाबाई की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रमांक—3 अनमोल का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है, मौंके पर वे ही काबिज हैं, वसीयतनामा के आधार पर हुए नामांतरण को वादिया ने कभी कोई चुनौती नहीं दी है, राजस्व न्यायालय द्वारा जो नामांतरण किया गया है वह प्रभावी है, प्रतिवादी क्रमांक—1, 2 व 3 वादग्रस्त सम्पत्ति के मालिक व कब्जेदार हैं, उन्हें सम्पत्ति विक्रय करने का अधिकार है. भूमि की उचित कीमत प्राप्त हो रही है इसी कारण प्रतिवादी क्रमांक—1, 2 व 3 ने भूमि विक्रय करने का सौदा प्रतिवादी क्रमांक—6 से किया है, वादिया ने संविदा के मुताबिक निर्धारित राशि के आधार पर दावे का मूल्यांकन नहीं किया है, पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया है, वादिया का दावा सबल एवं सारवान नहीं है। ऐसी स्थिति में वादिया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। निवेदन किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किया जावे।

07— प्रतिवादी क्रमांक—6 के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें यही उल्लेख किया है कि वादग्रस्त 12 डिसमिल भूमि एवं उस पर बने मकान का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक—1, 2 व 3 करना चाहते थे, राजस्व अभिलेखों में भूमि उनके नाम पर दर्ज है। ऐसी स्थिति में एक करोड़, तीस लाख रूपए में उक्त भूमि को मकान सिहत क्रय करने का सौदा एक माह पूर्व हो चुका है, अग्रिम पन्द्रह लाख रूपए की अदायगी प्रतिवादी क्रमांक—1, 2 व 3 को की जा चुकी है। प्रतिवादी क्रमांक—6 सद्भाविक केता है। वादग्रस्त भूमि में वादिया का कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में निवेदन किया गया है कि वादिया का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किया जावे।

08- आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

- (1)— क्या वादिया का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है ?
- (2)— सुविधा का संतुलन?
- (3)— अपूर्णीय क्षति 🏞

-::: विवेचन एवं निष्कर्ष्यः:-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निराकरण :-

- 09— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादिनी संध्या दुबे एवं प्रतिवादी कमांक—1 राजकुमार दुबे एवं प्रतिवादी कमांक—4 डाँ० कल्पना करमाहे एवं प्रतिवादी कमांक—5 किरन मृतक विपिन बिहारी दुबे एवं सुलोचना की संतान हैं। प्रतिवादी कमांक—2, प्रतिवादी कमांक—1 की पत्नी है, प्रतिवादी कमांक—3 मृत पुत्र अरूण के रास्ते से विपिन बिहारी एवं सुलोचना का नाती है। प्रतिवादी कमांक—6 भूमि विकय करने के लिए संविदा किया है। अब विचार यह करना है कि क्या वादिया का दावा प्रथम दृष्ट्या सबल एवं सारवान है। वादिया ने खसरा पांचसाला वर्ष 2016—17 की नकल प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 13/6 रकबा 0.049 हेक्टेयर राजकुमार पिता विपिन बिहारी, रजनी पित राजकुमार, अनमोल पिता अरूण के नाम पर दर्ज है, खसरा में मकान बने होने का उल्लेख है जो कि नामांतरण रा.प्र.क. —191/अ—6/2012—13 के माध्यम से पारित आदेश दिनांक 27.8.2013 के मुताबिक तहसीलदार बालाघाट द्वारा किया गया।
- 10— प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसमें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.11.67 मूलतः प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से श्रीमती सुलोचनाबाई दुबे ने द्वारकाप्रसाद श्रीवास्तव से खसरा नंबर 13 में से रकबा साढ़े सोलह डिसमिल क्रय किया था। भूमि की चतुर्सीमा दर्शित की गई है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पूर्व में 04 डिसमिल भूमि बिक चुकी है। इस तरह शेष भूमि खसरा नंबर 13/6 रकबा 0.049 हेक्टेयर राजकुमार वगैरह के नाम पर दर्ज है, उक्त भूमि पर मकान भी बना है।
- 11— प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 29.5. 2009 का प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से वादग्रस्त भूमि एवं मकान प्रतिवादी कमांक—1, 2 व 3 को सुलोचनाबाई दुबे ने वसीयत के माध्यम से दिया था, का उल्लेख है। वसीयतनामा के पृष्ठ कमांक—2 में ऐसा भी उल्लेख है कि सुलोचनाबाई की तीन पुत्रियाँ हैं उनका विवाह उसने कर दिया था और विवाह के समय ही

उन्हें यथायोग्य उपहार दे दिया था। पुत्री किरण का पुत्र शासकीय सेवा में है, पुत्री संध्या के पति व्यवसायी हैं, पुत्री कल्पना के पति भी शासकीय सेवा में हैं। वर्ष 1994 में विपिन बिहारी दुबे की मृत्यु हो गई थी।

- 12— प्रतिवादी क्रमांक—6 ने एक करोड़, तीस लाख रूपए में वादग्रस्त भूमि मकान सहित क्रय करने का सौदा किया है ऐसा उल्लेख प्रतिवादी क्रमांक—6 ने अपने जवाब में वर्णित किया है तथा ऐसा ही उल्लेख प्रतिवादी क्रमांक—1, 2 व 3 ने भी किया है।
- 13— उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन उपरांत यह स्पष्ट होता है कि सुलोचनाबाई दुबे के नाम वादग्रस्त सम्पत्ति रही है, उसकी मृत्यु होने पर उसकी वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 27.8.2013 को प्रतिवादी क्रमांक—1, 2 व 3 का नाम दर्ज हुआ। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य हैं कि वादिया संध्या एवं प्रतिवादी क्रमांक—4, 5 सुलोचनाबाई की पुत्रियाँ हैं। पक्षकार हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। सम्पत्ति हिन्दू नारी सुलोचनाबाई की अत्यांतिक रही है। हिन्दू नारी की मृत्यु होने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र—पुत्री होते हैं। इस मामले में जो वसीयतनामा दिनांक 29.5.2009 का प्रस्तुत किया गया है उसे वादिया ने फर्जी एवं कूटरचित होना बताया है। इस स्तर पर वसीयतनामा को फर्जी एवं कूटरचित होना अवधारित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जबिक सुलोचनाबाई की मृत्यु वर्ष 2009 में हुई तो उसके वारिस तीनों पुत्रियाँ एवं दोनों पुत्र हुए, एक पुत्र अरूण मृत हो गया है तो उसका वारिस अनमोल होगा।
- 14— इस दावे के माध्यम से वादिया ने वसीयतनामा को प्रश्नाधीन किया है ऐसी स्थित में जबिक वादिया संध्या, सुलोचनाबाई की पुत्री है तो फिर वादिया को अपने स्वत्व की मांग करने की अधिकारिता है, वादिया ने स्वत्व घोषणा का दावा पेश किया है, साथ ही उसने वसीयतनामा को शून्य कराने एवं उसके आधार पर किए गए नामांतरण को शून्य कराना चाहा है इस तरह से वादिया का दावा प्रथम दृष्टिया सबल एवं सारवान होना पाया जाता है।

- 15— जहाँ तक प्रतिवादी क्रमांक—1, 2 ब 3 के द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि एवं उस पर बने मकान को प्रतिवादी क्रमांक—6 से एक करोड़, तीस लाख रूपए में विक्रय किए जाने का सौदा करने की जो बात आई है उसे देखते हुए वादिया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस तरह से वादिया का वाद प्रथम दृष्ट्या सबल एवं सारवान होना पाया जाता है।
- 16— उपरोक्त विवेचन उपरांत विचारणीय प्रश्न क्रमांक—1 के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया जाता है कि वादिया का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-2 एवं 3 का निराकरण :-

- 17— उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि वादिया का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है। इस स्तर पर इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि प्रतिवादी कमांक—6 ने संविदा के अधीन प्रतिवादी कमांक—1 से 3 को पन्द्रह लाख रूपए अग्रिम अदा कर दिया है, ऐसी स्थिति में सुविधा एवं संतुलन को देखते हुए सीमित अविध के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
- 18— सामान्यतः देखने में ऐसा आता है कि अगर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण के अंतिम निराकरण तक के लिए प्रभावी कर दी जाती है तो प्रकरण का कोई एक पक्ष मामले को शीघ्रतया निपटाने में अपेक्षाकृत सहयोग नहीं करता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए निष्कर्ष दिया जाता है कि "सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु उभय पक्ष के मध्य है।"
- 19— उपरोक्त विवेचन उपरांत विचारणीय प्रश्न क्रमांक—2 व 3 के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया जाता है कि सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु उभय पक्षों के मध्य है।
- 20— उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि वादिया का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है, साथ ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु उभय

पक्ष के मध्य होना पाया गया है। परिणामतः वादिया की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सपिटत धारा 151 सी.पी.सी. (आई.ए. नंबर—1) का निराकरण करते हुए निम्नाशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अग्रिम आदेशपर्यन्त प्रभावी की जाती है:—

- (1)— प्रतिवादी क्रमांक—1, 2 व 3 वादग्रस्त सम्पत्ति जो कि वार्ड नंबर—26 गायखुरी, तहसील एवं जिला बालाघाट में स्थित है, जिस पर मकान बना हुआ है जिसका खसरा नंबर 13/6, रकबा 0.049 हेक्टेयर (12 डिसमिल भूमि) का अंतरण आदेश दिनांक से आगामी 03 माह तक प्रतिवादी क्रमांक—6 या किसी अन्य के पक्ष में या आपस में न करें।
- (2)— पक्षकार इस मामले में शीघ्रता से कार्यवाही करें जिससे मामले का गुण—दोष के आधार पर निराकरण 03 माह के अंदर किया जाना सुनिश्चित हो सके। साथ ही पक्षकार 50—50 हजार रूपए का बंधपत्र शीघ्रता से पेश करें कि वे आदेश का पालन करने के लिए अपने आपको आबद्ध कर रहे हैं।
- (3)— इस आदेश का प्रभाव प्रकरण में गुण—दोष के आधार पर पारित होने वाले निर्णय पर नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / — (रामजी लाल ताम्रकार) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बालाघाट (म.प्र.)

(रामजी लाल ताम्रकार) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बालाघाट (म.प्र.)